न्याया० श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्र०/निगरानी/सागर/भू०रा०/2017/5070

(1) शिवपाल बल्द फुन्दी आदिवासी

(2) विश्ना पिता औरंजी आदिवासी

(3) प्रमान, मुलाम, सीताबाई बेवा फुन्दी आदिवासी

(4) अमरसिंग पिता समल सिंग आदिवासी

(5) लेम्पूलाल पिता तिरंजी आदिवासी

सभी निवासी- ग्राम बीकोर खुर्द थाना मालथौन तहसील मालथौन जिला सागर म०प्र० --- आवेदकगण

।। बनाम ।।

(1) निर्मल पिता जगमेल सिंह

(2) गुरमुख पिता जगमेल सिंह

(3) जगमेल सिंह पिता उजागर सिंह

सभी निवासी- ग्राम मढौली तहसील राजपुरा जिला पटियाला (पंजाब) --- अना०गण

हाल निवासी- ग्राम बरोदिया कला तह० मालथौन जिला सागर म०प्र०

आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा० सं० 1959

आवेदकगण निम्नलिखित प्रार्थना करते है :-

(1):- यह कि न्याया० श्रीमान तहसीलदार तहसील मालथौन जिला सागर के रा०प्र०क्र०-25-अ/70 वर्ष 2016-017 आदेश दि० 4-10-17 से परिवेदित होकर श्रीमान के समक्ष उक्त निगरानी प्रस्तुत कर रहा है ।

(2):- यह कि आवेदकगण आदिवासी समुदाय के है । आवेदकगण को उनके पिता मुलायम बल्द औरंजी निवासी- बीकोर खुर्द कला पूर्व तहसील बण्डा जिला सागर को न्याया० श्रीमान नायब तहसीलदार मालथौन के प्र०क्र० 117-अ/19 वर्ष

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/सागर/भू.रा./2017/4070

शिवपाल विरूद्ध निर्मल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मालथौन जिला सागर के प्रकरण क्रमांक 25/अ-70/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 04-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (3) (आर.के. जैन) 08/3/19 सदस्य	